Arbitration वाद सं0—05 / 2019
श्री गुलाब ठाकुर
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य

<u>आदेश / अवार्ड</u>

अनुसूची 14—फारम सं0—563

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
25.04.2023	प्रस्तुत Arbitration वाद गुलाब ठाकुर, पिता—स्व0 रामलखन ठाकुर, ग्राम—बौरा वाजितपुर, अंचल—पुपड़ी, जिला—सीतामढ़ी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0— 527 C अन्तर्गत अधिग्रहित जमीन (खाता सं0—831, 792 के क्रमशः खेसरा सं0—1449, 1491) के उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के विरूद्व दायर किया गया है। दिनांक—18.03.2023 को जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता से प्राप्त प्रतिवेदन वादी को हस्तगत कराया गया तत्पश्चात् सुनवाई प्रारंभ की गयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा खेसरा सं0—1449 का अधिग्रहण भीठ—02 तथा खेसरा सं0—1491 का अधिग्रहण धनहर—02 मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। उनका (वादी) का दावा है कि खेसरा सं0—1491 के जमीन का किस्म कास्तकायमी व घरारी कास्त कायमी है, साथ ही प्रश्नगत खेसरा के पश्चिमी चौहदी में सड़क व वर्तमान में प्रधानमंत्री योजना का सड़क है। जिसके मुआवजे का मूल्यांकन अवर निबंधन कार्यालय पुपड़ी के अनुसार 30,000 / — रूपये प्रति डी0 के दर से अपेक्षित है। उनका यह भी दावा है कि प्रश्नगत जमीन में शीशम, आम, सागवान, अमरूध व सोहिजन का पेड़ मौजूद है, जिसका भू—अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में उन्होने (वादी) दिनांक—14.12.2018 को समाहर्ता—सह—जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को आपति / दावा आवेदन समर्पित किया है,। उनका (वादी) यह भी कहना है कि	

WEB COPY NOT OFFICIAL

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढी द्वारा वास्तविक तथ्य छुपाकर विधि के प्रतिकूल अवार्ड तैयार किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है.।

सक्षम प्राधिकार–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वादी के वाद पत्र के प्रत्युत्तर में अपने कार्यालय के पत्रांक–263 दिनांक–16.03.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, कि अर्जित भूमि का 3D गजट प्रकाशन के अनुरूप वर्ग–2 (भीठ–02 / धनहर–02) मानते हुए भूमि का मूल्यांकन किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मापक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार खेसरा सं0–1449 के अर्जित अंश पर वृक्ष नहीं पाये गये है।

दिनांक–18.03.2023 को सुनवाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए उल्लेख किया है कि NHAI Act-1956 की धारा–3G (5) के अधीन वादी द्वारा समर्पित वाद पत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यह मुआवजा राशि के निर्धारण के बजाये जमीन के वर्गीकरण से संबंधित है। वादी ने धारा–3A NHAI Act-56 के तहत अधिसूचना सं0–KA 98 (A) दिनांक–12. 01.2017 के 21 दिनों के अंदर भी कोई दावा / आपत्ति नहीं किया जिसके कारण सक्षम प्राधिकार ने अधिूसूचना में अंकित श्रेंणी के अनुसार मुआवजा का निर्धारण किया है।

वादीं के विद्वान अधिवक्ता, NHAI के विद्वान अधिवक्ता, DLAO, सीतामढ़ी को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का मुख्य दावा भूमि की प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन एवं पेड़ का मुआवजा नही मिलने से संबंधित है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक–263 दिनांक–16.03.2023 द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि अधिग्रहित भूमि पर वृक्ष के प्रमाण नहीं है। जहाँ तक वादी के अधिग्रहित भूमि के मुआवजा के संबंध में किये गये दावे का है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि Ministry of Road transport and highways, Government of India (MORTH) के पत्रांक–NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017

WEB COPY NOT OFFICIAL

के अनुसार भूमि की प्रकृति 3A अधिसूचना के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसका राजस्व अभिलेख खतियान होता है।

साथ ही इस संबंध में MORTH के पत्रांक– NH-11011/30/2015-LA दिनांक–28.12.2017 के कंडिका–10 (iii) में उल्लेखित प्रावधान हैः–

"Certain undesirable practices have come to notice of the Central Government. These include change in the nature of land or adoption of incorrect classification of land for determination of market value of land. it may be noted that the nature of land has to be taken as recorded in the revenue records on the day of publication of section-3A notification. for instance, if some landowner/interested person has raised a factory building or a commercial building upon the land under acquisition without obtaining the "Change in Land use" from the competent authority prescribed by the State Government, he/she cannot take the benefit of treatment of such land as industrial" or "commercial".

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी को मुआवजा का भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है।

अतएव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा भुगतान संबंधी पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति संभी संबंधितों को दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

आर्बिट्रेटर–सह–आयुक्त
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL